न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 157/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
गजाला परवीन पत्नी अब्दुल रउफ जाति अंसारी मुसलमान निवासी चौपासनी रोड जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी 2– गारवाड मुस्लिम एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोयायटी जरिये सचिव निसार अहमद खिलजी पुत्र अब्दुल रसीद खिलजी जाति मुसलमान निवासी मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशन सोसायटी पाल लिंक रोड, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–2020 जो उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा प्रकरण संख्या 38/2020 अनवान मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता अपीलार्थियां की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– श्री शहादत अली अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 24–6–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी संस्था को आवंटितसुदा कृषि भूमि मूल खसरा नंबर 38 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 433/38 रकबा 140 बीघा भूमि ग्राम बुझावड मे जो सडक दर्ज की गई है, की तरमीम वर्तमान मे त्रुटिपूर्ण है तथा मौके पर चल रहे सडक के अनुरूप नही है । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि खसरा नंबर 35, 36 व 37 मे जो सडक की तरमीम की गई है, वह मौके की स्थिति के अनुरूप नही है एवं मौके पर चल रही सडक तथा नक्शे मे की गई तरमीम भिन्न है, तथा यह भी उल्लेख किया कि संस्था को आवंटित भूमि प्रार्थी संस्था के कब्जे मे है परंतु उपरोक्त खसरान की तरमीम त्रुटिपूर्ण होने से आवंटियो एवं खातेदारो मे विवाद की संभावना रहती है इसलिए ख़सरा नंबर 38 मे से दर्ज की गई सडक की तरमीम मौके अनुसार किया आवश्यक है तथा फिल्डबुक के खसरा नंबर 38 मे से जो त्रुटिपूर्ण सडक की तरमीम को दुरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लूनी से मौका रिपोर्ट तलब की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द एवं नजरी नक्शा

आदि का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–12–2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार करते हुए तहसीलदार लूनी को आदेशित किया कि ग्राम बुझावड मे गंगाणा सरहद से बुझावड की तरफ पी.ड्ब्लू. डी. की सडक जो खसरा नंबर 35, 36, 37 व 38 मे चल रही है उसे मौके के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16–10–2020 के सलंग्न मौका फर्द के अनुसार संशोधित करे एवं नक्शे मे तद्नुसार तरमीम करें एवं संस्था को खसरा नंबर 433/38 मे आवंटित भूमि की तरमीम करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थियां ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने से अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने पर उक्त अपील उजर एतराज दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे चाही गई रिलीफ धारा 136 मे प्रदान नही जा सकती थी क्योंकि मामला नक्शे मे तरमीम दुरस्ती का होने से धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिये था ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संस्था द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार लूनी को ही पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया जबकि अपीलाधीन आदेश से ग्राम बुझावड के खसरा नंबरान 35, 36, 37, 38 के खातेदार प्रभावित हो रहे है, जो हितबद्ध होते हुए भी उनको पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कानूनी प्रावधानो के विपरीत तथा बिना किसी फाईंडिंग के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

'वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं दस्तावेजो का समुचित विश्लेषण किये बिना मात्र कयासो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार की ओर से रेस्पो0 संख्या 2 की मिलीभगत से बनी एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जबकि तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मे वास्तविक रास्ता एवं मौके पर रास्ते का कोई स्पष्ट अंकन या प्रकटीकरण नही होते हुए मात्र कल्पना के

आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार लूनी की रिपोर्ट दिनांक 16–10–2020 एवं उसके सलंग्न रेस्पो0 संख्या 2 संस्था के नाम ग्राम बुझावड स्थित खसरा नंबर 433/38 रकबा 140 बीघा भूमि की तरमीम एवं ग्राम बुझावड के खसरा नंबर 35, 36, 37 व 38 मे पी.ड्ब्लु.डी. की सडक की तरमीम दुरस्ती बाबत जांच एवं मौका रिपोर्ट एवं उसके सलंग्न नजरी नक्शा ग्राम बुझावड की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा कथन किया कि उक्त नजरी नक्शे मे ओरेंज कलर मे पी.ड्ब्लु.डी. की सडक होना दर्शाया है जिसे अपीलाधीन निर्णय के द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16–10–20 के साथ सलंग्न फर्द के अनुसार संशोधित करने एवं तद्नुसार तरमीम संस्था को खसरा नंबर 433/38 मे आवंटित भूमि की भी तरमीम करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संस्था को राज्य सरकार द्वारा आवटित भूमि के संबंध मे आवंटन को निरस्त करवाने बाबत प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी मे विचाराधीन है जिसमे रेस्पो0 संख्या 2 स्वयं पक्षकार है तथा पैरवी कर रहे है इसलिए संस्था को आवंटित हुई भूमि के संबंध मे विवाद भी अभी विचाराधीन है ।

वकील अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा दिनांक 14–6–2021 को प्रस्तुत की गई लिखित बहस के जवाब मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सडक का स्थान परिवर्तन का है और सडक का उपयोग व उपभोग आमजन द्वारा किया जाना है इसलिए जनहित मे कोई भी व्यक्ति ऐसे जनहित को प्रभावित करने वाले आदेश को चुनौती दे सकता है इसलिए मेरे द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय मे अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी । अतः जनहित मे मेरे द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 2 की लिखित बहस मे अपीलांट इस न्यायालय मे क्लीन हैण्ड से नही आने के कथन एवं इस बाबत उद्धरित निर्णय नजीर के प्रत्युत्तर मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि जवाब मे उल्लेखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय नजीर 2006(3) सी.सी.सी. 634 (एस.सी.) मे दिया गया अभिनिर्धारण रेस्पो0 संख्या 2 पर भी लागू होता है । रेस्पो0 संस्था द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय मे हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकारो को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की थी ।

आर्डर दिनांक 3–3–20 का है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–12–2020 का है इसलिए उक्त वर्क आर्डर पहले चल रही सडक के संबंध मे है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–12–2020 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया । विकल्प मे यह भी निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया जाये कि वे अपीलाधीन भूमि के पडौसी सभी हितबद्ध खातेदारो को पक्षकार बनाकर उनको सूचित कर सुनवाई का अवसर देकर तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे लंबित विभिन्न न्यायालयो मे विचाराधीन प्रकरण मे नवीनतम स्थिति की जानकारी कर पुनः नये सिरे के निर्णय पारित करें ।

रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार लूनी की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को सही एवं न्यायसंगत बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने उनके द्वारा दिनांक 14–6–2021 को प्रस्तुत लिखित बहस को ही उनकी बहस का मुख्य अंग सुमार करने का निवेदन करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की मौखिक बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट खसरा नंबर 48/1 की सहखातेदार है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश खसरा नंबर 35, 36, 37 38 मे से चल रही सडक की मौके अनुसार तरमीम करने का आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट के खातेदारी अथवा खसरा नंबर 48 की भूमि किसी रूप से प्रभावित नही हो रही है । इसके अलावा यह भी कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार ही नही था तथा अपीलांट के हित अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से प्रभावित नही होने से अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार ही नही है तथा इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नही है। इसी आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज किये जाने योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी कथन किया कि वकील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय के अप्रार्थी संख्या 2 उत्तम जैन को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की है जो पक्षकारो के कुसंयोजन के आधार पर खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी कथन किया कि ग्राम बूझावड की अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 35, 36, 37 व 38 की भूमि के खातेदारान द्वारा आज तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के संबंध मे कोई

आपत्ति प्रकट नही की है तो अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट जो कि पूर्व मे इसी सोसाइटी मे सदस्य थी जिनके निष्पासन के बाद सोसाईटी को हेरान व परेशान करने की नियत से पृथक पृथक न्यायालयो मे दावे एवं अपीले प्रस्तुत कर रखी है इसलिए अपीलांट ने इस न्यायालय मे भी उक्त अपील गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा को गुमराह करते हुए एकतरफा स्थगन आदेश हासिल किया है, जिसे निरस्त करने तथा अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे तहसीलदार लूनी ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि ग्राम बुझावड मे गंगाणा सरहद से बुझावड की तरफ पीड्ब्लुडी की सडक जो कि खसरा नंबर 35, 36, 37 तथा 38 मे चल रही है वर्तमान लट्ठा ट्रेस मे खसरा नंबर 35, 36, 37, 38 मे उक्त सडक की तरमीम की हुई है किन्तु तरमीम एवं मौके पर चल रही सडक की स्थिति मे भिन्नता है, जंहां सडक बनी हुई है वहां तरमीम नही है । ग्राम बुझावड के नामांतरकरण संख्या 59 एवं 82 के द्वारा खसरा नंबर 35, 36, 37, 38 मे उनके कार्यालय के आदेश दिनांक 22–10–77 के द्वारा सडक हेतु भूमि अवाप्त की गई थी एवं नामांतरकरण संख्या 59 एवं 82 की पुश्त पर अवाप्तसुदा भूमि का नजरी नक्शा नही बना हुआ है, खसरा नंबर 37 मे उक्त सडक की तरमीम उपखण्ड अधिकारी लूनी के मु0 संख्या 67/2014 निर्णय दिनांक 13–6–2016 द्वारा दुरस्त की हुई है जो लट्ठा ट्रेस मे भी दुरस्त की गई है । अतः वर्तमान मे उक्त संस्था के खसरा नंबर 438/38 रकबा 140 बीघा भूमि एवं पीड्ब्लुडी की सडक जो खसरा नंबर 35, 36, 37, 38 मे है व चल रही है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 37 मे उक्त सडक की तरमीम उपखण्ड अधिकारी लूनी के मु0 संख्या 67/2014 निर्णय दिनांक 13–6–2016 के द्वारा तरमीम दुरस्त गई थी जो लट्ठा ट्रैस मे मौजुद है ।

अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो मौके एवं नक्शे के अनुसार विधिसम्मत तरीके से पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–12–2020 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–12–2020 का

अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार लूनी की रिपोर्ट एवं मौका एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट आदि का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 मारवाड मुस्लिम एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी जरिये सचिव एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 48, 60 व 62 राजस्थान लेण्ड रेकर्ड रूल्स बाबत रेकर्ड दुरस्ती का प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी संस्था को आवंटित सुदा कृषि भूमि मूल खसरा नंबर 38 वर्तमान खसरा नंबर 433/38 रकबा 140 बीघा ग्राम बुझावड पटवार हल्का डोली तहसील लूनी मे आई हुई है । उक्त खसरा नंबर 38 की भूमि मे जो सडक दर्ज की गई है, की तरमीम वर्तमान मे त्रुटिपूर्ण है तथा मौके पर चल रही सडक के अनुरूप नही है तथा खसरा नंबर 35, 36 व 37 मे जो सडक की तरमीम की गई है, वह मौके की स्थिति के अनुरूप नही है एवं मौके पर चल रही सडक एवं नक्शे मे की गई तरमीम भिन्न भिन्न होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया । जिसकी पालना मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने तहसीलदार लूनी से मौके एवं वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार लूनी द्वारा प्रस्तुत जांच एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट दिनांक 16–10–2020 का अध्ययन एवं सुनवाई उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–12–2020 के द्वारा प्रार्थी संस्था (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2) का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लूनी को आदेशित किया कि ग्राम बुझावड मे गंगाणा सरहद से बुझावड की तरफ पीड्ब्लुडी की सडक जो कि खसरा नंबर 35, 36, 37 व 38 मे चल रही है उसे मौके के अनुसार एवं तहसीलदार लूनी की रिपोर्ट दिनांक 16–10–2020 के साथ सलंग्न मौका फर्द के अनुसार संशोधन करे एवं नक्शे मे तद्नुसार तरमीम करें एवं संस्था को खसरा नंबर 433/38 मे आवंटित भूमि की भी तरमीम करने के आदेश पारित किये गये है, जिसके संबंध मे अब तक उक्त खसरा नंबरान 35, 36, 37 व 38 के किसी भी खातेदार ने इस न्यायालय मे अपील के जरिये आपत्ति प्रकट नही की है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

अपीलार्थियां ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति के साथ सही तथ्य प्रकट किये बिना अपील पेश की थी जिसमे एकतरफा स्थगन आदेश भी दिनांक 1–1–2021 को जारी किया जाने पर रेस्पो0 गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपीलार्थियां के खातेदारी के खसरा नंबर 48/1 है जबकि अपीलाधीन आदेश खसरा नंबर 35, 36, 37 38 के संबंध मे पारित किया है जिसमे से सडक का संचालन होना मौका रिपोर्ट से जाहिर है तथा

अपीलांट के खातेदारी की भूमि अथवा खसरा नंबर 48 की भूमि किसी रूप से प्रभावित नही होती है, ऐसे मे अपीलार्थियां हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नही होने से अपीलार्थियां की अपील खारीज योग्य है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि बहस के दौरान रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा ग्राम गंगाणा से मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी बुझावड तक एप्रोच सडक निमार्ण के लिए जारी वर्क आर्डर जारी किया हुआ है जो इस न्यायालय मे विचाराधीन अपील एवं पारित स्थगन आदेश की आड मे सडक निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से रूका पडा है ।

इसके अलावा अपीलार्थियां के अधिवक्ता का यह कथन कि रेस्पो0 संख्या 2 संस्थान को आवंटित भूमि को निरस्त करवाने बाबत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील एवं अन्य न्यायालयो मे भी संस्थान को आवंटित इसी भूमि के संबंध मे प्रकरण विचाराधीन है तो उनमे पारित होने वाले निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करवाने हेतु उभय पक्षकारान स्वतंत्र होंगे।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–12–2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24–6–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर